देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 1123 /भू अ० **दिनांक :** 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—मनोहरडीह, थाना—सारवाँ, थाना सं०—154, अंचल—सारवाँ, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **सिकिटिया (बवनगामा—पथरौल पथ पर) से शामलपुर—बोचबांध—डुबा—बनवरिया—जियाखारा—मनीगढ़ी (सारठ—देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—मनोहरडीह, थाना—सारवाँ, थाना सं०—154, अंचल—सारवाँ, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.197** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	16	रैयती	धानी—3	0.005	गेदो सिंह पे० तुलसी सिंह (ज० रै०) वो टेकलाल सिंह वो हुलाल सिंह पे० प्रताप सिंह (ज० रै०)	बनवरया, 159	अर्जित दाग का अंश	नावाडीह, 155	बनवरिया, 159
2	9	6	रैयती	बाड़ी—2	0.005	रामेश्वर नापित पे० चिखरू नापित वो विजय नापित पे० तेजु नापित वो प्रमिला देव्या पति सहदेव नापित वो वासुदेव नापित वो परशुराम नापित पे० गणेश नापित वो गोविन्द नापित वो धीरेन नापित पे० कुलीन नापित वो रोहित नापित वो मेवाली नापित वो दुखन नापित वो पे० नकुल नापित।				
3	9	11	रैयती	धानी—3	0.0025	तथैव।				
4	9	21	रैयती	धानी—3	0.01	तथैव।				
5	9	34	रैयती	धानी—3	0.0025	तथैव।				
6	9	7	रैयती	धानी—3	0.005	मदन नापित वो मोहन नापित पे० केटु नापित।				
7	9	9	रैयती	धानी—3	0.005	तथैव।				
8	9	8	रैयती	धानी—3	0.005	मीलो देवी पति मडु नापित।				
9	9	17	रैयती	धानी—3	0.01	तथैव।				
10	9	46	रैयती	धानी—3	0.005	तथैव।				
11	10	33	रैयती	धानी—3	0.005	नुनु मंडल वगैरह, पे० गजाधर मंडल (ज०रै०)				
12	15	22	बकास्त	धनी—3	0.005	मांझी झा पे० मनभरन झा वो जगत प्र० झा पे० छोटकु झा वो झलझल झा पे० भगवत झा वो सच्चिदानन्द झा वो निमाई झा वो पे० हरनिन्दन झा वो दीनदयाल झा वो रामप्रसाद झा वो नवीन झा वो अविनाश झा पे० बच्चा झा (ज० रै०)				
13	16 K	47	बकास्त	धानी—3	0.002	श्री कुमार झा वो दलदल झा पे० लाजपत झा वो सच्चिदानन्द झा वो निमाई झा पे० हिरानन्द झा। (ज०रै०)				

19/10/19

14	17	13	रैयती	धानी–3	0.13	पुरण गोस्वामी वो धुरन गोस्वामी वो मिथलेश गोस्वामी पे० गणेश गोस्वामी वो नरेश गोस्वामी पे० जगदीश गोस्वामी वो सनातन गोस्वामी वो प्यारी गोस्वामी वो भोला गोस्वामी वो राजकिशोर गोस्वामी पे० करण गोस्वामी वो हिरालाल गोस्वामी वो किसन गोस्वामी पे० शंभु गोस्वामी वो भागीरथ गिरी पे० शशि गिरी वो पार्वती देवी पति दुबे गिरी।				
				कुल रकवा–	**0.197**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

22/10/19

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1123/ भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवाँ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

22/10/19

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

19/10/19
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
19/10/19

19-10-19
अपर समाहर्त्ता
देवघर